उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हमीरपुर

प्रैस नोट

सत्र **2017–2018** की मान्यता कक्षा **1^{st} से 8^{th}** के लिए मान्यता नवीनीकरण (Renewal Recognition) एवं नई मान्यता (Fresh Recognition) प्राप्त करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा निम्न प्रकिया अमल में लाई जानी है ।

क्रमांक	मान्यता प्रकिया	मास /तिथि
1.	निजी शिक्षण संस्थानों को अपने मान्यता आवेदन कार्यालय में जमा करवाने होगें ।	31 जनवरी तक
2.	अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त आवेदनों पर निजी संस्थानों का निरीक्षण करवाया जायेगा ।	15 फरवरी तक
3.	निजी शिक्षण संस्थानों को प्राप्त आवेदनों /निरीक्षण पर पाई गई कमियों को कार्यालय द्वारा संस्थानों को सूचित किया जायेगा ।	28 फरवरी तक
4.	निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा कमियों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा ।	15 मार्च तक
5.	निजी शिक्षण संस्थानों की कमियों के निराकरण उपरान्त मान्यता प्रदान करना ।	31 मार्च 2017

मान्यता रेगुलेशन एवं आवेदन पत्र केवल कार्यालय बेबसाईट www.ddeehmr.org.in पर ही उपलब्ध होगा । निजी शिक्षण संस्थान इसे 05.01.2017 से डाउनलोड (download) करके, इसमें मांगी गई समस्त जानकारी भरकर कार्यालय को भेज सकते हैं । मान्यता प्राप्ति से पूर्व कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि और भरपायी का संस्थान स्वंय उत्तरदायी होगा । निजी शिक्षण संस्थान मान्यता बारे आवेदन करने से पूर्व विस्तृत जानकारी हेतु Right to Education Act,2009 और Right of Children to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011 का भी गहन अध्ययन अवश्य करें , क्योंकि कौन–कौन से दस्तावेजों को मान्यता आवेदन के साथ संल्गन किया जाना है उस बारे सही जानकारी मिल सकें । सभी संस्थानों को अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ –साथ नवीनतम Fire Safety Certificate from Chief Fire Officer Shimla / building Safety Certificate from Executive Engineer PWD Concerned से संल्गन करना आवश्यक होगा । कार्यालय उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हमीरपुर द्वारा कक्षा 1^{st} से 8^{th} तक की मान्यता प्रदान की जायेगी । कक्षा 1–5 तक निजी शिक्षण संस्थानों को संबधित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नियमों के अनुरूप प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए उन्हें उक्त कार्यालय में आवेदन करना होगा । अतः कार्यालय द्वारा 1^{st} से 8^{th} तक की मान्यता हेतु भेजे जाने वाले आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा । मान्यता हेतु सभी आवेदन करने वाले संस्थानों का मान्यता आवेदन उक्त तिथि तक कार्यालय में जमा करने होगें । इसके पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगें । नई मान्यता शुल्क कक्षा 1^{st} से 8^{th} तक = 10,000/– कक्षा 6^{th} से 8^{th} तक = 5000/– और मान्यता नवीनीकरण शुल्क = 500/– रहेगा । इस बार मान्यता शुल्क सभी आवेदनकर्ता संस्थानों का **eChallan -: Challan Payment Gateway** के माध्यम से जमा करवाया जाना है। जिन निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता को 5 वर्ष पूर्ण हो गये हैं उन्हें नई मान्यता (Fresh Recognition) के लिये आवेदन करना होगा और बाकि निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता नवीनीकरण (Renewal Recognition) के लिये कार्यालय में आवेदन करना होगा ।

उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा
हमीरपुर जिला हमीरपुर